

मूल वाद में डिकी
 (आदेश 20 के नियम 6 और 7)
 न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) भादरा
 (पीठसीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
 पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उपरीष्ट पुत्र हेमराज प्राप्ति-प्राप्त
 निम्न विराण र० गारा व 63 अन्य।
 उन्वान
 बनाम 1. वीरवत पुत्र हेमराज प्राप्ति-प्राप्त
 निम्न विराण र० गारा व 63 अन्य।
 मुद्रमा नम्बर - 108/23
 निर्णय दिनांक - 26.06.2023

वादी की ओर से वकील एड. अरीरा असी की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील
 एड. पवन कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26.06.23 को मुझ शकुन्तला
 चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान लोक अदालत
 की भावना से राजीनामा पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रावा म० 50/38, चड 2 एएमएम के रावा म० 71/68, चड 3
 एएमएम के रावा म० 72/73, चड 4 एएमएम के रावा म० 52/50
 चड 6 एएमएम के रावा म० 4/67, 33/25 चड 7 एएमएम के
 रावा म० 120/81, चड 2 एएमएम के रावा म० 73/79
 रावा चड 4 एएमएम के रावा म० 5/49 में पर्णित आताजी
 का रावा व लगान मुताबिक रंगदार नम्बरा अनुसार आपन
 किया जाता है। रंगदार नम्बरा में पत्तानिह रावा का अंजन
 राजस्थान रिमार्ड में करते हुए हथीवत भादरा राजान रिमार्ड
 सुराह में पञ्जावती में पेश राजीनामा व रंगदार नम्बरा का
 डीही का भाग पठा जावे।

यदि पञ्जावत का हिस्सा बैठ रहन हे तो रहन से पञ्जावत
 सापर हथानानिहिर करते हुए राजान रिमार्ड में अग्रत दाखर करें

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
 यह पर्चा डिकी आज दिनांक 26/6/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



शिविर प्रभासी
 उपखण्ड अधिकारी,
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान),
 भादरा (जिला-हनुमानगढ़)